

फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

:- गोपाल उर्फ गोपीलाल

प्रतिवादी :- दौला वगैरह

सन् : 2021

म मुकदमा :- वाद

प्रकरण संख्या :- 162/21

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा
सूचनाएँ जारी की गई

दिनांक : 03.03.2025

पत्रावली पेश हुई। वादी अनुपस्थित। प्रकरण में बंटवारे का होने से दिनांक 25.06.2024 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार गिर्वा को प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। तहसीलदार गिर्वा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से विभाजन करा नामान्तकरण संख्या 1298 राजस्व ग्राम डांगियों की पंचोली पर दर्ज होकर पारित हो चुका है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अवसर मांगा गया जिस पर वादी अधिवक्ता को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिए गया। बावजूद इसके वादी द्वारा किसी प्रकार आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

वादी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं किए जाने पर तहसीलदार गिर्वा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 368 एवं पुराना 97 में आराजी संख्या 1005 वादी के नाम पर दर्ज हो चुकी है तथा तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन हो जाने से एवं वादी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं किए जाने से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात का सहमति से विभाजन हो चुका है जिससे इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः वादी का वाद वादग्रस्त आराजीयात का सहमति से विभाजन हो जाने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।



(सोनिका कुमारी)

IAS

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर